

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, भीलवाडा
(पीठासीन अधिकारी एल. आर. गुगरवाल आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या - 48/2015 - निगरानी

- | | | |
|---|------|--|
| 1. रामलाल पुत्र नानु बलाई
निवासी नाथडियास तह0 रायपुर | बनाम | 1. प्रेमचन्द पुत्र प्रताप तेली निवासी
नाथडियास तह0 रायपुर |
| 2. श्रीमती छगनी पत्नि नानु बलाई
निवासी नाथडियास तह0 रायपुर
जिला भीलवाडा | | 2. ग्राम पंचायत नाथडियास जरिये
सरपंच ग्राम पंचायत नाथडियास
तह0 रायपुर जिला भीलवाडा |
| -निगराकार | | - गैर निगराकार |

निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994

निगरानी विरुद्ध निर्णय ग्राम पंचायत नाथडियास पंचायत समिति रायपुर प्रकरण सं.

462 दिनांक 11.03.2013 फेसल दिनांक 08.07.2013 निरस्त कराने बाबत

1. श्री राकेश सुराना अधिवक्ता - निगराकार की ओर से उपस्थित
2. श्री राकेश जैन अधिवक्ता - गैर निगराकार सं. 01 की ओर से उपस्थित
3. श्री कैलाश चन्द्र काष्ट अधिवक्ता - गैर निगराकार सं. 2 की ओर से उपस्थित

निर्णय

दिनांक 28.02.2017

निगराकार की ओर से यह निगरानी पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 97 के अंतर्गत गैर निगराकारान के विरुद्ध दिनांक 14.09.2015 को प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि ग्राम नाथडियास के साबिक आ.नं. 45 /1 रकबा 10 बीघा जिसके नये नम्बर 757,758,759 किता 3 रकबा 1.62 हैक्ट. भूमि निगराकार के पिता एवं पति के नाम खातेदारी से दर्ज थी जो विरासत से निगराकार के नाम दर्ज हुयी । ग्राम पंचायत विपक्षी सं. 02 ने ग्राम पंचायत की आराजी सं. 802 बिलानाम आबादी भूमि में विपक्षी सं. 1 एवं अन्य व्यक्तियों को भूखण्ड जारी किये , परन्तु मौके पर आ.नं. 802 में पटटे जारी न कर आराजी सं. 757,758,759 किता 3 रकबा 1.62 हैक्ट. भूमि में पटटे जारी कर दिये । विपक्षी सं. 02 द्वारा पटटे जारी करने से पूर्व ही निगराकार के कब्जेकाशत की जमीन में दखल किया जाने लगा ओर जबरन कब्जा करने लगे, जिससे निगराकार ने थाना रायपुर में प्रथम सूचना दर्ज कराई तथा ग्राम पंचायत को जरिये अधिवक्ता दिनांक 14.12.2011 व दिनांक 21.12.2011 को नोटिस प्रेषित किया कि वह निगराकार की आराजी में किसी प्रकार से जबरन कब्जा नही करे ।

थोहर बाड नष्ट नही करे एवं किसी अन्य को आराजी का पटटा जारी नही करे । विपक्षी सं. 02 ग्राम पंचायत को नोटिस दिये जाने के बाद दौराने सेटलमेन्ट , सेटलमेन्ट कर्मचारियों ने नक्शे में गलत इन्द्राज कर दिया जिस पर निगराकार की ओर से नक्शों में दुरुस्ती का वादपत्र उपखण्ड अधिकारी रायपुर के न्यायालय में प्रस्तुत किया जो विचाराधीन है ।

विपक्षी सं. 02 ने पत्रावली सं. 462 दिनांक 11.03.2013 फेसल दिनांक 08.07. 2013 के आधार पर जारी किया है जिसके पडौस पूर्व में मनोहर लाल पारीक , पश्चिम में चन्द्रप्रकाश वैष्णव , उत्तर में रायपुर नाथडियास सडक एवं दक्षिण में रामलाल सालवी की भूमि स्थित है । उक्त चारों पडौसी के मध्य पटटा जारी किया गया । विपक्षी सं. 01 के प्रार्थना पत्र के आधार पर जिसमें वर्णित वर्षों से कब्जा होना अंकित किया है पटटा जारी किया गया , जबकि उक्त भूखण्ड पर विपक्षी सं. 01 का कभी कब्जा नही रहा है तथा ग्राम पंचायत के पास भी भूमि नही थी । पटटा जारी होने से पूर्व ही नक्शे में दुरुस्ती का वादपत्र निगराकार की ओर से उपखण्ड न्यायालय में प्रस्तुत कर दिया गया था । इस प्रकार पटटा ग्राम पंचायत द्वारा बिना कब्जा दिये ही जारी कर दिया जो पटटा विधि विरुद्ध होने से निरस्त किये जाने योग्य है । यदि विपक्षी सं. 01 का उक्त पडौसों के मध्य के भूखण्ड पर कब्जा पटटा जारी होने से पूर्व का होता तो विपक्षी सं. 01 को निगराकार के विरुद्ध कब्जा लेने का वादपत्र पेश नही करना पडता । मौके पर न तो कभी पंचायत का कब्जा था और न ही विपक्षी सं. 01 का कब्जा है । मौके पर किसी प्रकार के भूखण्ड कायम नही किये गये है । बिना किसी प्लान के भूखण्ड के पटटे जारी कर दिये जो पटटे अवैध एवं विधि विरुद्ध होने से निरस्त किये जाने योग्य है । ग्राम पंचायत के सरपंच एवं वार्ड पंचों ने मौके पर जाकर कोई मौका नही देखा , न कोई नक्शा मौका , मौका पर्चा बनाया । मात्र पत्रावलियों के आधार पर बिना मौका देखे पटटा जारी कर दिया तथा बिना किसी प्लान के पटटे जारी कर दिये है जो पटटे अवैध एवं विधि विरुद्ध होने से निरस्त किये जाने योग्य है । विपक्षी सं. 02 द्वारा पटटा जारी करने से पूर्व कानूनन कोई आपत्तियां आमंत्रित नही की गयी । राजस्थान पंचायत राज अधिनियम की धारा 142 से धारा 157 के प्रावधानों की पालना नही की गयी है । जब तक धारा 156 में वर्णित शर्तों की पालना नही हो, तब तक भूमि विक्रय नही की जा सकती है । भूमि विक्रय करने में भूमि का कब्जा भी सिपुर्द किया जाना आवश्यक होता है और इस पटटे में वर्णित भूखण्ड का विपक्षी सं. 01 को कोई कब्जा सिपुर्द नही किया गया है । इसलिए पटटा पंचायत राज अधिनियम के विपरीत एवं मौके की स्थिति के विपरीत केवल कागजी पटटा

जारी किया गया है जो पट्टा सर्वथा अवैध एवं विधि विरुद्ध एवं मौके पर कब्जा नहीं दिये जाने से विपक्षी सं. 01 के नाम जारी पट्टा निरस्त किये जाने योग्य है । अतः निगराकार की निगरानी स्वीकार फरमाई जाकर विपक्षी सं. 02 द्वारा विपक्षी 01 को जारी पट्टा अवैध एवं विधि विरुद्ध होने से पट्टा निरस्त किये जाने का आदेश फरमाया जाये ।

प्रस्तुत निगरानी इस न्यायालय में दिनांक 17.09.2015 को पंजीकृत करते हुये गैर निगराकारान को नोटिस जारी किये गये तथा अधिनस्थ ग्राम पंचायत से पट्टा जारी करने संबंधी पत्रावली तलब की गयी ।

प्रस्तुत निगरानी में निगराकार व गैर निगराकार के अधिवक्ताओं की दिनांक 27.02.2017 को बहस सुनी गयी ।

विद्वान अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया । विपक्षी सं. 02 द्वारा जारी किया पट्टा बिलानाम भूमि में होकर सरकारी खाते में उक्त भूमि दर्ज है । ग्राम नाथडियास तहसील रायपुर की जमाबंदी संवत् 2070 से 73 में प्रश्नगत भूमि ख.नं. 802 रकबा 1.63 हैक्ट0 जिसमें पट्टा जारी किया गया बिलानाम राजस्थान सरकार के नाम दर्ज रेकार्ड है । ग्राम नाथडियास के आ.नं. 802 की भूमि ग्राम पंचायत नाथडियास की आबादी भूमि नहीं है । ग्राम पंचायत केवल उसके खाते में दर्ज ग्राम पंचायत की आबादी भूमि में ही पट्टा जारी कर सकती है । ग्राम पंचायत नाथडियास द्वारा गैर निगराकार सं. 01 के पक्ष में जारी पट्टा अधिकारिता से परे जाकर जारी किया गया जो अवैध एवं शून्य है । ऐसी स्थिति में पंचायत द्वारा पट्टा जारी किया गया है जो वैध नहीं है । जारी किया गया उक्त पट्टा सरकारी बिलानाम भूमि आराजी नं. 802 मे से जारी किया गया है, जो वैध नहीं ठहरता है । उपरोक्त विवेचन के आधार पर निगराकार की निगरानी स्वीकार योग्य ठहरती है । ग्राम पंचायत नाथडियास द्वारा प्रकरण सं. 462 दिनांक 11.03. 2013 फेसल दिनांक 08.07.2013 को निरस्त किये जाने के योग्य है । अतएव -

आदेश

निगराकार की ओर से प्रस्तुत निगरानी पंचायत राज अधिनियम 1994 की धारा 97 विरुद्ध आदेश ग्राम पंचायत नाथडियास स्वीकार की जाकर अधिनस्थ ग्राम पंचायत द्वारा गैर निगराकार सं. 01 के पक्ष में ग्राम पंचायत नाथडियास पत्रावली सं. 462 दिनांक 11.03. 2013 फेसल दिनांक 08.07.2013 को अपास्त किया जाकर सरपंच ग्राम पंचायत नाथडियास को निर्देश दिया जाता है कि तथाकथित पट्टा विलेख व पत्रावली पर निरस्तीकरण के आदेश

उल्लेखित किया जावे । तहसीलदार रायपुर को अतिक्रमित भूमि से नियमानुसार कब्जा हटाये जाने हेतु निर्देशित किया जाता है । तलबिदा रेकार्ड मय निर्णय प्रति के अधिनस्थ ग्राम पंचायत को पालनार्थ लौटाया जावे । आदेश की प्रति विकास अधिकारी पंचायत समिति रायपुर को आवश्यक कार्यवाही एवं सूचनार्थ प्रेषित किया जावे ।

निर्णय आज दिनांक 28.02.2017 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।



(एल.आर.गुर्गुरवाल)
अतिरिक्त जिला कलक्टर,
भीलवाड़ा